



प्रेस नोट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 शातिर लुटेरे. कोरियर वितरक से लूटे गये कुल 37.547 रु/-(सैंतीस हजार पांच सौ सैंतालीस रुपये) सहित गिरफ्तार।

दिनांक 03.07.2021 को वादी श्री पुष्पेन्द्र सिंह(कोरियर वितरक) पुत्र श्री दयाराम सिंह नि0 ग्राम0 पैगम्बपुर सुखवाली लाल, थाना काँठ जनपद मुरादाबाद द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 03.07.2021 को जब वह ग्राम गंगाधरपुर में कोरियर बाँटकर ग्राम मेवानवादा की तरफ जा रहा था तो ग्राम आसराखेडा के निकट दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे रोक लिया तथा डंडा दिखाकर उसकी जेब कोरियर वसूली के कुल रु 37,547 /- छीन कर ग्राम मेवानवादा की तरफ भाग गये। उसके द्वारा इन लोगो का अपनी मोटरसाइकिल से पीछा किया गया तो ये लोग अपनी मोटरसाइकिल स्पलेन्डर नं0 UP20K8025 को ग्राम मेवा नवादा में एक घेर में छोडकर भाग गये। घटना के चश्मदीद लोगो ने बताया कि जो लोग मोटरसाइकिल छोडकर भागे है इनका नाम शाहरुख पुत्र अलाउद्दीन एवं वसीम पुत्र अलीहसन उर्फ मुन्ने है, तथा इसी गांव के रहने वाले है। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 344/21 धारा 392 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए थाना स्योहारा पुलिस को अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी के कुशल नेतृत्व/क्षेत्राधिकारी धामपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.07.2021 को मुखबिर की सूचना पर थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेवला जाने वाली सडक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त की निशादेही पर कोरियर वितरक से लूटे गये कुल 37,547 रु/- भी बरामद किये गये।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होने कोरियर वितरक को कोरियर बांटते हुए पैसों की वसूली करते हुए देख लिया था, जिसके बाद हमने उसे लूटने की योजना बना ली तथा योजना के अनुसार ग्राम आसराखेडा के निकट एकान्त में कोरियर वितरक से कुल 37,547 रु/- लूट लिये। हम इन पैसों को लेकर बिजनौर से बाहर जाकर खर्च करके मौज मस्ती करना चाहते थे कि आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1 - शाहरुख पुत्र अल्लाउद्दीन नि0 ग्राम मेवानवादा थाना स्योहारा जिला बिजनौर
- 2 - वसीम पुत्र अलीहसन नि0 ग्राम मेवानवादा थाना स्योहारा जिला बिजनौर

बरामदगी का विवरण

लूट के कुल 37,547 /- (सैंतीस हजार पांच सौ सैंतालीस रुपये)

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 344/21 धारा - 392/411 आईपीसी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री महेशचन्द
2. हे0का0 353 पुरुषोत्तम
3. का0 1728 अजय कुमार
4. का0 1310 बोबी कुमार



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 05.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1- राजेन्द्र सिंह पुत्र चंद्र 2- शिवम कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी गण ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा 3- प्रदुमन कुमार पुत्र संतराम निवासी ग्राम गल्ला खेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना शेरकोट:- आज दिनांक 05.07.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त नोमान पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला मनिहारान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 123/21 धारा 376 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 05.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- सोनू 2- मोनू पुत्रगण महर सिंह निवासी ग्राम रावली थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 05.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त गोपाल उर्फ मांडू पुत्र ओमाचरण निवासी ग्राम बसी रूहासी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया ।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 05.07.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त शोएब पुत्र इदरीश निवासी ग्राम अमीरपुर सुधा उर्फ जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 334/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:— आज दिनांक 05.07.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त उधम सिंह पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ग्राम मुन्नवरपुर सैद उर्फ महमदाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

